राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2,जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

कमांक–एफ. 4(1)पोषा/विविध/ICDS/2012/ 54518-51 जयपुर, दिनांकः 6/7/12

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

विषयः–पूरक पोषाहार की मांग, आपूर्ति,भण्डारण,परिवहन, वितरण आदि के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा समय–समय पर पूरक पोषाहार की मांग, आपूर्ति, भण्डारण, परिवहन, वितरण आदि के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गये। यह देखने में आया है कि परियोजना अधिकारियो के द्वारा केन्द्रीयकृत व्यवस्था में आई.सी.डी.एस एवं सबला योजना के लिए पूरक पोषाहार की मांग प्रत्येक माह की 20 तारीख तक नही की जा रही है। निर्धारित समय पर पोषाहार की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण पोषाहार का आवंटन निर्धारित समय पर नहीं होने से आंगनबाडी केन्द्रों पर पोषाहार निर्बाध आपूर्ति प्रभावित होती है।

यह भी जानकारी मे आया है कि परिवहन व्यवस्था के अभाव में पोषाहार परियोजना के गोदाम में अनावश्यक रूप से भण्डारित रहता है तथा पोषाहार लाभान्वितों को नियमित रूप से वितरण नही किया जा रहा है,इसके कारण लाभान्वितों का प्रतिशत कम रहने के साथ पोषाहार के खराब/अवधिपार होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

स्टोर कीपर एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को स्पष्ट निर्देश जारी करें कि पहले प्राप्त पोषाहारों का लाभान्वितों को वितरण पहले एवं बाद में प्राप्त पोषाहार का वितरण इसके पश्चात् किया जावें। किसी भी स्थिति में पोषाहार अवधिपार नहीं हो।

कुछ परियोजनाओं में पोषाहार परिवहनकर्ता द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों पर आवश्यकता से अधिक पोषाहार परिवहन कर दिया जाता है, जिससे पोषाहार के अवधिपार होने एवं पोषाहार का दुरूपयोग होने की संभावना रहती है। अतः इस संबंध निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में आंगनबाडी केन्द्रों पर पोषाहार वितरण करने से पूर्व संबंधित महिला पर्यवेक्षक से आंगनबाडी केन्द्र पर पोषाहार की मांग की सूचना प्राप्त कर तदानुसार ही पोषाहार आंगनबाडी केन्द्रों पर भिजवाया जावें। समस्त महिला पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया जावें कि वे अपने अधीनस्थ आंगनबाडी केन्द्रों पर स्टॉक पंजिका की जांच कर यह सुनिश्चित करे कि आंगनबाडी केन्द्रों पर स्टॉक पंजिका के अनुसार ही उपलब्ध है तथा केन्द्रों पर पोषाहार का दुरूपयोग नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आंगनबाडी केन्द्रों के आस–पास प्रतिष्ठित व्यक्तियों/जन प्रतिनिधियों /मातृ समिति के सदस्यों से सम्पर्क कर पोषाहार का निर्देशानुसार उपयोग होने के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की जावें।

यह भी जानकारी में आया है कि पोषाहार परिवहनकर्ता द्वारा किसी ग्राम /क्षेत्र में संचालित किसी एक आंगनबाडी केन्द्र पर ही उस क्षेत्र के सभी आंगनबाडी केन्द्रों के पोषाहार को डाल दियां जाता है, जिससे आंगनबाडी कार्यकर्ता को स्वयं के साधन से आंगनबाडी केन्द्र तक पोषाहार ले जाना पडता है। अतः पोषाहार परिवहनकर्ता को निर्धारित आंगनबाडी केन्द्र तक पोषाहार पहुचाने हेतु पाबन्द करावें।

इस सम्बन्ध मे निर्देश दिये जाते है कि आप अपने जिले मे संचालित परियोजनाओं के निरीक्षण के दौरान पोषाहार गोदामो का भौतिक निरीक्षण करें। यह सुनिश्चित करें कि किसी भी परियोजना में एक माह से अधिक आवश्यकता का पोषाहार स्टॉक में नहीं हो। परियोजना गोदामों/आंगनबाडी केन्द्रों पर पोषाहार का भण्डारण सूखे, स्वच्छ, सीलनरहित एवं हवादार स्थान पर किया जाना सुनिश्चित करावें। पूरक पोषाहार के भण्डारण, परिवहन एवं वितरण मे अनियमितता पाये जाने तथा परियोजना गोदाम/आंगनबाड़ी केन्दों पर अवधिपार/खराब पोषाहार पाये जाने पर सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित करें।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ. 4(1)पोषा/विविध/ICDS/2012/ 54552-55200 जयपुर, दिनांकः 6/7/12

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
3. मुख्य कार्यकारी जिला परिषद, समस्त।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करावें।

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर